

लौह एवं इस्पात वितरण नीति (वर्ष 2016-17 के लिए मान्य)

निगम द्वारा भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा आवंटित लौह इस्पात राज्य की लघु उद्योग उपक्रम को वितरण हेतु निम्न नीति अपनाई जायेगी :-

1. राज्य की उद्यमी ज्ञापन पार्ट द्वितीय अभिस्वीकृत लघु उद्योग उपक्रम को लौह इस्पात वितरण हेतु निगम में पंजीकरण किया जायेगा । इस हेतु इकाईयों निर्धारित प्रपत्र एनेक्सर 'ए' में आवेदन करेंगी।
2. उपक्रम को उसकी उपभोग क्षमता से अधिक कच्चा माल उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा ।
3. निगम द्वारा उपार्जित माल का आवंटन एवं वितरण इच्छुक क्रेता लघु उद्योग उपक्रम को निम्न प्रकार से किया जायेगा :-

(I) एच.आर/सी.आर.कोइल/स्केल्प हेतु -

(ए) एच.आर/सी.आर.कोइल/स्केल्प के वार्षिक एम.ओ.यू. करने वाली इकाईयों को एस.एस.आई.सी. रिबेट निम्नानुसार पारित की जायेगी :-

| क्र. सं. | एम.ओ.यू. मात्रा (मै.टन) | कुल देय एस.एस.आई. रिबेट | इन्चाईस स्टेज पर | एम.ओ.यू. पूर्ण होने पर |
|----------|-------------------------|-------------------------|--|------------------------|
| 1 | प्रारंभ से 5000 तक | रु. 275/- प्रति मै0 टन | रु. 120/- प्रति मै0 टन | रु. 155/-प्रति मै0 टन |
| 2 | 5001 से 8000 तक | रु. 350/- प्रति मै0 टन | रु. 120/- प्रति मै0 टन रु. 175/- प्रति मै0 टन 5000 मै0 टन क्य करने के पश्चात सम्पूर्ण मात्रा पर | रु. 175/-प्रति मै0 टन |
| 3 | 8001 से 12000 तक | रु. 400/- प्रति मै0 टन | रु. 120/- प्रति मै0 टन । रु. 175/- प्रति मै0 टन 5000 मै0 टन क्य करने के पश्चात सम्पूर्ण मात्रा पर । रु. 200/- प्रति मै0 टन 8000 मै0 टन क्य करने के पश्चात सम्पूर्ण मात्रा पर । | रु. 200/-प्रति मै0 टन |
| 4 | 12001 से 15000 तक | रु. 425/- प्रति मै0 टन | रु. 120/- प्रति मै0 टन । रु. 175/- प्रति मै0 टन 5000 मै0 टन क्य करने के पश्चात सम्पूर्ण मात्रा पर । रु. 200/- प्रति मै0 टन 8000 मै0 टन क्य करने के पश्चात सम्पूर्ण मात्रा पर । | रु. 225/-प्रति मै0 टन |
| 5. | 15001 से अधिक | रु. 450/-प्रति मै.टन | रु. 250/- प्रति मै.टन | रु. 200/- प्रति मै. टन |

यह रिबेट निगम को सेल/आर.आई.एन.एल. से प्राप्त होने पर ही दी जायेगी ।

(बी) एम.ओ.यू. करने वाली इकाईयों पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया/राष्ट्रीय इस्पात निगम के एम.ओ.यू. सम्बन्धित नीतिगत प्रावधान भी लागू होंगे ।

(सी) सेल/आर.आई.एन.एल. के साथ वार्षिक आधार पर एम.ओ.यू. किया जायेगा । इस एम.ओ.यू. का माल इकाईयों को भी इसी आधार पर आवंटित किया जायेगा।

(डी) एम.ओ.यू. रूपये 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निगम के निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा ।

(ई.) यदि कोई इकाई एम.ओ.यू. पूर्ण नहीं कर पाती है तो एम.ओ.यू. पूर्ण होने पर देय एस.एस. आई.सी. रिबेट टी.ओ.डी., कन्सिस्टेन्सी रिबेट नहीं दी जायेगी । एम.ओ.यू. पूर्ण करने वाली इकाईयों को टी.ओ.डी., कन्सिस्टेन्सी रिबेट सेल द्वारा देने पर दी जायेगी । आई.एफ.सी., दरों में अन्तर राशि, त्रैमासिक रिबेट का भुगतान सेल से प्राप्त होने पर ही किया जायेगा ।

(एफ.) डायरेक्ट डिस्पेंच बुकिंग हेतु 5.00 लाख रुपये पी.एफ.ए. के रूप में जमा किये जायेगे। इस राशि का माह की बुकिंग के अन्तिम वैगन में समायोजन का प्रावधान रहेगा । यदि कोई इकाई अपनी बुकिंग का माल नहीं लेगी तो वह माल सेल स्टॉक यार्ड में डाईवर्ट करवा कर सम्बन्धित चार्जज इकाई को डेबिट कर दिये जायेंगे । एक बार डाईवर्ट करवाने वाली इकाईयों से पी.एफ.ए. राशि 10.00 लाख रुपये लेकर ही भविष्य में माल बुक करवाया जा सकेगा ।

(जी.) एम.ओ.यू. हेतु किसी भी प्रकार की अमानत राशि नहीं ली जायेगी ।

;पद्ध वायर रोड व अन्य लौह इस्पात उत्पाद हेतु –

(ए) वायर रोड व अन्य लौह इस्पात उत्पाद हेतु इकाइयों को एस.एस.आई.सी रिबेट निम्नानुसार दी जायेगी ।

| माल की मात्रा वर्ष में | इन्वाइस स्टेज पर देय रिबेट |
|----------------------------|--|
| शून्य से 200 मैट्रिक टन तक | रु. 280/- प्रति मै.टन |
| 200 मै.टन से अधिक | रु. 300/- प्रति मै.टन सम्पूर्ण मात्रा पर |

(बी) इकाईयों यह माल वार्षिक एम.ओ.यू. के आधार पर कय कर सकती है जिन्हे उक्त (ए) में वर्णित रिबेट के अतिरिक्त निगम को उत्पादक से प्राप्त होने वाले कोई एम.ओ.यू. डिस्काउन्ट आदि भी दिये जायेगे ।

(सी) नॉन एम.ओ.यू. के आधार पर कय करने वाली इकाइयों को मात्र निर्धारित एस.एस.आई.सी रिबेट ही दी जायेगी ।

(डी) यह माल एम.ओ.यू. या नॉन एम.ओ.यू. के अन्तर्गत कय करने वाली इकाइयों को एस.एस.आई.सी रिबेट प्रत्येक माह में कुल उठाये गये माल पर निर्धारित दर से उत्पादक से प्राप्त होने पर दी जायेगी ।

(ई) नॉन एम.ओ.यू. इकाईयों को माल की आपूर्ति एम.ओ.यू. इकाईयों को प्राथमिकता दिये जाने के उपरान्त शेष बचे माल की उपलब्धता एवं इकाईयों की मांग को मध्यनजर रख कर की जायेगी।

(एफ) आवंटित किये गये माल का उपयोगिता प्रमाण पत्र इकाइयों द्वारा चार्टर्ड अकाउन्टेड से प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत किया जावेगा । इकाई के किसी प्रकार दोषी पाये जाने पर निगम द्वारा इकाई को माल की आपूर्ति बन्द कर दी जायेगी ।

(जी) डायरेक्ट डिस्पेंच बुकिंग हेतु उत्पादक की शर्तों के अनुसार पी.एफ.ए. राशि निगम में जमा करानी होगी ।

4 इकाईयों द्वारा निगम को अग्रिम भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से करना होगा । भुगतान प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त सेल/आर.आई.एन. एल. के नाम चैक जारी करवा कर माल की डिलीवरी की जायेगी ।

5 (ए) एक ही आर.आर. एवं विभिन्न साईज का माल अलग-अलग वैगन में आने की स्थिति में

इकाईयों से शपथ पत्र लिया जायेगा । यथा संभव निगम मांग के अनुसार वैगन देगा परन्तु किन्ही परिस्थिति में कोई माल किसी दूसरे के वैगन में आ जाता है तो इकाई को स्वीकार्य होगा ।

(बी) यदि एक ही आर.आर. में 2 या 3 इकाईयों का माल आ जाता है तो सभी इकाईयों को एक मुश्त राशि जमा करवानी होगी जो भी इकाई देरी से राशि जमा करायेगी एवं जिस इकाई द्वारा राशि जमा करवा दी गई है उनके सभी वारफेज/डेमरेज, देरी से भुगतान करने वाली इकाईयों को वहन करने होंगे ।

(सी) प्रत्येक माह की 5 तारीख डायरेक्ट डिस्पेच बुकिंग एवं स्टॉक यार्ड की बुकिंग 23 तारीख तक देने पर ही सेल/आर.आई.एन.एल. में माल बुक करवाया जा सकेगा ।

किसी भी प्रकार का संशोधन घटाना बढ़ाना व नीति आदि में परिवर्तन इत्यादि शक्तियों प्रबन्ध निदेशक महोदय के पास ही होंगी।